कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.)

Phone No. 07762-232668, e-mail : raigarhcmho@rediffmail.com

क्रमांक / स्था.अवि. / नर्सिंग / 2023 / 2622 / रायगढ़, दिनांक 4-5-2023

प्रति,

उप संचालक,(अवि.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
स्वास्थ्य भवन, नार्थ–ब्लॉक सेक्टर–19
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :– संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. अंतर्गत तृतीय श्रेणी के जिला स्तरीय रिक्त पदों को संचालनालय के एन. आई.सी. के माध्यम से प्रसारित विज्ञापन की संशोधित विज्ञापन सूचना के संबंध में।

संदर्भ :– (1) अवर सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, के पत्र क्र एफ 13–1 / 2023 / आ.प्र. / 1–3, नवा रायपुर, दिनांक 03.05.2023

(2) आपका पत्र क्रमांक / स्था.अवि. / 306 / 2022 / 898 / नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28.10.2022

—:00:—

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक / स्था.अवि. / नर्सिंग / 2022 / 5574 / रायगढ़, दिनांक 10.06.2022 के द्वारा जिला स्तरीय तृतीय श्रेणी के कुल 90 विभिन्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु विभागीय वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया है। संदर्भित पत्र (1) में दिये गये निर्देशानुसार उक्त विज्ञापित पदों पर पुनः भर्ती की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है एवं संदर्भित पत्र (2) में दिये गये निर्देशानुसार संशोधित विज्ञापन सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही सादर प्रेषित है।

अतः कृपया उक्त संशोधित विज्ञापन सूचना को विभागीय वेबसाईट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार संशोधित विज्ञापन सूचना 1 पेज एवं कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक / स्था.अवि. / नर्सिंग / 2022 / 5574 / रायगढ़, दिनांक 10.06.2022 की प्रति 6 पेज।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्र. / स्था.अवि. / नर्सिंग / 2023 / 2623-25 / रायगढ़, दिनांक 4-5-2023

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी, (एनआईसी), कलेक्टोरेट परिसर, रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ, कृपया उक्त विज्ञापन सूचना को जिले वेबसाईट www.raigarh.gov.in में अपलोड कराने का कष्ट करें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.)

दूरभाष क्र. 07762–232668, ई–मेल– cmhoraigarh@rediffmail.com

क्रमांक/स्था.अवि./नर्सिंग/2023/ 2621 रायगढ़, दिनांक 4 /05/2023

–:: संशोधित विज्ञापन सूचना ::–

कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक/स्था.अवि./नर्सिंग/2022/5574/रायगढ़, दिनांक 10.06.2022 के द्वारा रायगढ़ जिले में फार्मासिस्ट ग्रेड–02, ड्रेसर ग्रेड–1, ड्रेसर ग्रेड–2, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, पुरूष, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, महिला एवं डार्करूम असिस्टेंट के पद पर सीधी भर्ती हेतु विभागीय वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया था जिसमें वर्तमान में संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/स्था.अवि./306/2022/898/नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28.10.2022 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उक्त प्रसारित कार्यालयीन विज्ञापन की सामान्य नियम एवं शर्ते तथा आवश्यक निर्देश की कंडिका 12 में उल्लेखित प्रावीण्यता सूची की निर्धारण में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

(अ) 1– ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, पुरूष/महिला, एवं ड्रेसर ग्रेड–1 पद हेतु शैक्षणिक योग्यता 12 वीं के प्राप्तांकों का 40 प्रतिशत एवं तकनीकी शिक्षा के प्राप्तांकों का 45 प्रतिशत (कुल 85 प्रतिशत)

2– फार्मासिस्ट ग्रेड–02 पद हेतु तकनीकी शिक्षा के प्राप्तांकों का 85 प्रतिशत।

3– डार्करूम असिस्टेंट पद हेतु शैक्षणिक योग्यता 12 वीं के प्राप्तांको का 85 प्रतिशत।

4– ड्रेसर ग्रेड–02 पद हेतु शैक्षणिक योग्यता 10 वीं के प्राप्तांकों का 85 प्रतिशत।

(ब) छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत आवेदकों के अनुभव के अधिकतम 15 अंक (03 अंक प्रति पूर्ण वर्ष के मान से अधिकतम 05 वर्ष या अधिक वर्ष के लिये)

(स) ऐसे अभ्यार्थी जो कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 6 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश पृ.क्र. एफ 1/67/2021/सत्रह/एक, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03 फरवरी 2023 में दिये गये आदेशानुसार 10 बोनस अंको का लाभ दिया जावेगा।

(उपरोक्त (ब)+(स) में प्राप्त अनुभव के अंक को अधिकतम 15 अंक ही दिया जावेगा।)

इस प्रकार कंडिका 12 अनुसार (अ) के 1 या 2 या 3 या 4 +(ब)+(स) को जोड़कर प्रावीण्य सूची बनायी जायेगी जिसके आधार पर चयन समिति भर्ती के लिये वरीयता सूची अनुशंसित करेगी। शेष सभी निर्देश/नियम/शर्ते यथावत् रहेगी।

नोट :– यह भर्ती/नियुक्ति प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी

संलग्न :– उपरोक्तानुसार कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक/स्था.अवि./नर्सिंग/2022/5574/रायगढ़, दिनांक 10.06.2022 की छायाप्रति 6 पृष्ठ।

Msymakm

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.)

दूरभाष क्र. 07762–232668, ई–मेल– cmhoraigarh@rediffmail.com

क्रमांक / स्था.अवि. / नर्सिंग / 2022 / 5577 रायगढ़, दिनांक 10-06-2022

–:: विज्ञापन ::–

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020) में दिये गये प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार जिला स्तरीय भेषजज्ञ वर्ग–दो (फार्मासिस्ट ग्रेड–02), ड्रेसर वर्ग–एक, ड्रेसर वर्ग–दो, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला / पुरूष, डार्करूम असिस्टेंट के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा विभागीय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र छत्तीसगढ़ के माध्यम से पदों की पूर्ति हेतु छ.ग. राज्य के मूल निवासी एवं पद हेतु आर्हत प्राप्त अभ्यार्थियों के दिनांक 20.06.2022 से दिनांक 11-07-2022 तक (समय 05.00 बजे) तक ऑनलाईन आवेदन एन.आई.सी. की वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** में आमंत्रित किये जाते है।

1. विज्ञापित पदो की पूर्ति हेतु सेवा भर्ती नियमानुसार सेवा संवर्गवार विहित शैक्षणिक अर्हतायें योग्यता निम्नानुसार है:–

जिला स्तरीय पद

क्र.	पदनाम	वेतनमान	श्रेणी	कुल रिक्त पदों की संख्या	भर्ती के रिक्त पद						
					संवर्ग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	योग	विहित शैक्षणिक अर्हतायें
1	भेषजज्ञ वर्ग–दो (फार्मासिस्ट ग्रेड–02)	25300–80500 / – लेवल–6	तृतीय श्रेणी	13	अनारक्षित	4	1	0	0	5	1. फार्मेसी कौंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण (फार्मेसी) में डिप्लोमा तथा 2. छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल से जीवित पंजीयन। 3. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक / एफ 20–4 / 2014 / आ.प्र. / 1–3 / नया रायपुर, दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL, BL, HH दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे।
					अजा	2	0	1	0	3	
					अजजा	2	1	0	0	3	
					अपिव	1	1	0	0	2	
			योग:–			9	3	01	0	13	
2	ड्रेसर ग्रेड–1	19500–62000 / – लेवल–4	तृतीय श्रेणी	30	अनारक्षित	1	4	1	1	7	1. 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण होना चाहिये; 2. आर्थोपेडिक–कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये; और 3. छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल से ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिये। 4. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक / एफ 20–4 / 2014 / आ.प्र. / 1–3 / नया रायपुर, दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL, HH दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे।
					अजा	2	1	0	0	3	
					अजजा	11	3	1	1	16	
					अपिव	2	1	1	0	4	
			योग:–			16	9	3	2	30	

क्रमशः– 2

3	ड्रेसर ग्रेड–2	18000–56900/– लेवल–3	तृतीय श्रेणी	4	अनारक्षित	1	1	0	0	2	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 10 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। 2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3/ नया रायपुर, दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL, HH दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे।
					अजा	0	0	0	0	0	
					अजजा	1	0	0	0	1	
					अपिव	1	0	0	0	1	
				योगः–		3	1	0	0	4	
4	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, "पुरूष"	22400–71200/– लेवल–5	तृतीय श्रेणी	22	अनारक्षित	8	0	0	0	8	1. जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये; 2. प्रशिक्षण केन्द्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण, जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई हो, उत्तीर्ण होना चाहिए; एव 3. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीकृत होना चाहिये। 4. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3/ नया रायपुर, दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL, OA दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे।
					बैकलाग	0	0	0	1	1	
					अजा	2	0	0	0	2	
					अजजा	5	0	2	1	8	
					अपिव	2	0	0	1	3	
				योगः–		17	0	2	3	22	
5	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, "महिला"	22400–71200/– लेवल–5	तृतीय श्रेणी	20	अनारक्षित	0	4	0	0	4	1. उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये; 2. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह/24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये; 3. छत्तीसगढ़ नर्सिंग कौंसिल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पंजीयन होना चाहिए। 4. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3/ नया रायपुर, दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL, OA दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे।
					बैकलाग	0	0	5	0	5	
					अजा	0	3	0	0	3	
					बैकलाग	0	0	1	0	1	
					अजजा	0	2	0	0	2	
					बैकलाग	0	0	3	0	3	
					अपिव	0	1	0	0	1	
					बैकलाग	0	0	1	0	1	
				योगः–		0	10	10	0	20	

क्रमशः– 3

6	डार्क रूम असिस्टेंट	19500–62000/– लेवल–4	तृतीय श्रेणी	1	अनारक्षित	1	0	0	0	1	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। 2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 20–4/2014/आ. प्र./1–3/ नया रायपुर, दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL, HH दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे।
					अजा	0	0	0	0	0	
					अजजा	0	0	0	0	0	
					अपिव	0	0	0	0	0	
				योगः–		1	0	0	0	1	

टीपः– दर्शित रिक्त पदां की संख्या आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय है।

2. आवेदन तिथि को वांछनीय जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।

3. सभी पदों पर आवेदन किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी उम्मीदवार ही पात्र होगें।

3.1 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "पुरूष" पदों पर केवल पुरूष उम्मीदवार ही आवेदन किए जाने हेतु पात्र होंगे।

3.2 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "महिला" पदों पर केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन किए जाने हेतु पात्र होंगे।

4. **न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा** – आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश/निर्देश, नियम, आदेशानुसार छूट मान्य होगी।

4.1 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट पत्र क्रमांक 3–2/2015/1–3 दिनांक 30.01.2019 के द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है। इस आदेश अनुसार सभी प्रवर्ग के आवेदकों के लिये अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त होगी।

4.2 छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु विशेष प्रवर्ग जैसे– छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन के नियम अनुसार छूट मान्य होगी।

4.3 सामान्य प्रशासन बिभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशो के आधार पर अभ्यार्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतमं आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4.4 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–1/2016/1–3 रायपुर दिनांक 10.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

4.5 विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

क्रमशः– 4

<u>सामान्य नियम एवं शर्ते तथा आवश्यक निर्देशः–</u>

1. छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम–2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020) में दिए गए प्रावधानों एवं शासन द्वारा जारी आदेश, निर्देश अथवा नियम लागू होगें।
2. अभ्यार्थियों द्वारा पदों के लिये भर्ती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताऐं आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा।
3. जिन पदों के लिए सेवा भर्ती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हतायें धारण करने के उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य के पैरामेडिकल कौंसिल/नर्सिंग कौंसिल/फार्मेसी कौंसिल में जीवित पंजीयन होना वांछनीय है वह आवेदन करने की तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य है।
4. छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस हेतु **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र संबंधित के दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य** होगा।
5. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591/2012, रिट पिटीशन (सी) 592/2012 रिट पिटीशन (सी) 593/2012 रिट पिटीशन (सी) 594/2012 में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तयों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
6. 6.1 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होगें, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते है, उन्हे **सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य** होगा।

   6.2 छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार निःशक्तता से बाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही किया जावेगा।

   6.3 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) 2234/2017, में पारित होने वाले आदेश/निर्णय दिनांक 17.03.2022 के अनुसार फार्मासिस्ट ग्रेड–02 हेतु HH दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होगें।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पदों का निर्धारण शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम/रोस्टर अनुसार किया जाएगा तथा समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होगें। इस संबंध में **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होंगा।**
8. भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग उम्मीदवार होने संबंधित **सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र आवेदन तिथि को आवेदक करने की तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य होगा।**
9. पूर्व में किसी अभ्यार्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो तो चयन हेतु पात्र नही होंगे। उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपने **नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र दस्तावेजों से सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा** अन्यथा चयन हेतु पात्र नही होंगें।
11. उक्त पदों हेतु प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी जिसकी वैद्यता मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक रहेगी।

क्रमशः– 5

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

12. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अंतर्गत अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग सेवा भर्ती नियम 2013 एवं संशोधित नियम 2020 के अनुसार एवं छत्तीसगढ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर जिला रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–67/2021/सत्रह/एक नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 21 मार्च 2022 मे दिये गये निर्देशानुसार प्रावीण्यता सूची का निर्धारण

(अ) शैक्षणिक तकनीकी योग्यता का 85 प्रतिशत अंक।

(ब) छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत आवेदकों के अनुभव के अधिकतम 15 अंक (03 अंक प्रति पूर्ण वर्ष के मान से अधिकतम 05 वर्ष या अधिक वर्ष के लिये)

(स) ऐसे अभ्यार्थी जो कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश पृ.क्र. एफ 1/67/2021/सत्रह/एक दिनांक 07.12.2021 में दिये गये आदेशानुसार 10 बोनस अंको का लाभ दिया जावेगा। इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 06 माह की निरन्तर सेवा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

इस प्रकार 12 (अ)+(ब)+(स) को जोडकर प्रावीण्य सूची बनायी जायेगी जिसके आधार पर चयन समिति भर्ती के लिये वरीयता सूची अनुशंसित करेगी।

(द) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी अर्थात् जिस अभ्यार्थी की जन्मतिथि पहले होगी ,उसके अनुसार वरीयता में उच्च क्रम पर रखा जावेगा।

13. विज्ञापित रिक्त पदों पर चयन का आधार मेरिट होगा तथा मेरिट सूची संवर्गवार जारी की जावेगी।

14. प्रावीण्यता सूची के आधार पर प्रावीण्यता सूची से अभ्यार्थियो को 1:10 के अनुपात में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज के निरीक्षण उपरांत पात्र–अपात्र सूची जारी की जावेगी एवं दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत प्राविण्यता के आधार पर चयन सह प्रतिक्षा सूची जारी की जावेगी। अभ्यार्थी के दस्तावेज/प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीद्वार/चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

15. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति होगी। चयनित उम्मीद्वारों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमाक एफ 1–1/2017/1–3 दिनांक 29.07.2020 के साथ संलग्न (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना कमांक एफ 1–1/2017/1–3 दिनांक 28.07.2020 के तहत् किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जावेगा एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश इन नियुक्तियों पर पूर्णरूपेण लागू होगें।

16. 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान चयनित अभ्यार्थियों/शासकीय सेवक को वित्त निर्देश 21/2020 अनुसार स्टायपेण्ड देय होगा। संशोधित छ.ग. मूलभूत नियम–22 सी (1) अनुसार प्रथम ,द्वितीय एवं तृतीय वर्ष कमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70% 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जावेगा।

17. अभ्यार्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य/गलत पाई जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना के आवेदक की चयन हेतु दावेदारी अमान्य करते हुए संबंधित के नियमानुसार विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

18. आवेदक का चयन होने पर पुलिस सत्यापन में किसी भी प्रकार की प्रतिकुल टिप्पणी पाये जाने की स्थिति में बिना कारण बताये चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेंगी।

क्रमशः– 6

19 19.1 भर्ती के संबंध में आगामी सूचना, निर्देश, आदेश, पात्र–अपात्र सूची, मेरिट सूची तथा भर्ती संबंधी अन्य समस्त जानकारियॉ संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा दी जावेगी।

19.2 प्रावीण्य सूची प्राप्त होने के उपरांत विभाग स्तरीय आगामी कार्यवाही की सूचना राज्य स्तरीय विभागीय वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** के माध्यम से दी जावेगी। इस संबंध में पृथक से आवेदक से कोई पत्राचार नही किया जावेगा।

20. उपरोक्त पदो पर केवल ऑनलाईन आवेदन मान्य/स्वीकार किये जायेंगें।(ऑफ लाईन आवेदन मान्य नहीं होगा)

21. भर्ती के संबंध में नियम,शर्ते अन्य आवश्यक निर्देश एवं ऑनलाईन आवेदन की तिथि/प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग की **www.cghealth.nic.in** पर देखा जा सकता है।

21. भर्ती के संबंध में नियम,शर्ते अन्य आवश्यक निर्देश एवं ऑनलाईन आवेदन की तिथि/प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग की **www.cghealth.nic.in** पर देखा जा सकता है।

22. आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता/शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन करें। आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में चाही गई जानकारी सावधानीपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक भरा जावे तथा चाहे गये दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से संलग्न कर आवेदन करें आवेदंन में गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी स्वयं अभ्यार्थी की होगी।

23. **अनर्हताएंः– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामन्य शर्तें) नियम 1961 के नियम–6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगीः–**

23.1 कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा/होगी। परंतु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रर्वतन से छूट होगी।

24. ऑनलाईन आवेदन करने के संबंध में दिशा निर्देश :–

1. ऑनलाईन आवेदन करने हेतु cghealth.nic.in में जाकर आवेदन करें।
2. अभ्यर्थी अपने मोबाईल नंबर के द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु अपना स्वयं का पंजीयन करें, तत्पश्चात् पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड अभ्यर्थी के मोबाईल पर प्राप्त होगा, पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
3. आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में दिए गए दिशा–निर्देशों को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेवें।
4. आवेदन भरने के पश्चात् Submit कर आवेदन का प्रिंट निकालकर उसमें आवेदक स्वयं हस्ताक्षर करके अनिवार्य रूप से Upload करें अन्यथा आवेदन पूर्ण नहीं माना जावेगा।
5. हस्ताक्षर आवेदन करने के पश्चात् पावती प्रिंट करके सुरक्षित रखें जो दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

25. **निर्वचन** :– इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्ते महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार विभागीय चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं विभागीय चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ समाचार